



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21012026-269485
CG-MH-E-21012026-269485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 259]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 19 जनवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 287(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11 वां) (जिसे इसमें इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 23 सितम्बर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4289 (अ) तारीख 16 सितम्बर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपावधद अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "वर्धा - नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद) नई ब्रॉडगेज रेल्वेलाइन" निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20- क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "दै. मातृभूमि" और "दै. विदर्भ मतदार" में तारीख 14 अक्तूबर 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहीत हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में पूसद-उमरखेड तालूका से नागरी सेक्शन के अंतर्गत का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प यवतमाल, के अधीन विशेष रेल परियोजना “वर्धा - नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद) नई ब्रॉडगेज रेलवेलाइन” के लिए अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारणा पद्धती	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	02/47/2025-26	बेलगव्हाण	पुसद	गजानन किशोर घोरपडे, खुशाल किशोर घोरपडे, कल्पना किशोर घोरपडे, अपाक आई लिलाबाई किशोर घोरपडे, लिलाबाई किशोर घोरपडे.	28/3	2	1.54	1.270
2				कल्पना धनराज साखरकर, खुशाल किशोर घोरपडे, गजानन किशोर घोरपडे, लिलाबाई किशोर घोरपडे.	28/1	2	1.69	0.390
3				सोनीबाई उदेभान राठोड, देवसिंग उदेभान राठोड, विजय उदेभान राठोड, शोभा सकरू राठोड, आत्माराम उदेभान राठोड, युवराज सकरू राठोड, निर्मला वसराम जाधव, नागेश्वर सकरू राठोड	34 पै	2	5.03	2.210
कुल							8.26 (हे.आर.)	3.870 (हे.आर.)
1	01/47/2025-26	बिटरगाव खु.	उमरखेड	प्रयागबाई सुभाषराव नरवाडे, बालक सुभाषराव नरवाडे, वामन सुभाषराव नरवाडे	14/1/अ	1	1.20	0.48
2				नथ्थुराम संभाजी सरकाळे	27/2	1	2.25	0.02
3				विठ्ठल देविदास सरकाळे	27/3	1	0.55	0.85

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारणा पद्धती	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
				सरस्वतीबाई देविदास सरकाळे			0.48	
				पुंडलीक देविदास सरकाळे			0.55	
कुल							5.03 (हे.आर.)	1.35 (हे.आर.)
कुल योग							13.29 (हे.आर.)	5.220 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/WR -Nanded/Bitargaon & Belgavan Vlg/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 19th January, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 287(E).—whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways(Railway Board), number. S.O 4289 (A) dated 16th September 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, PartII, section 3, Sub-section (ii) dated the 23rd September 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project,namely **“Wardha- Nanded (via Yevatmal Pusood)” New BG Railway Line**” in the district of Yavatmal in the state of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Matrubhumi” And “Namo Maharashtra” Dated 14th October 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government Free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project “Wardha- Nanded (via Yevatmal Pusood)” New BG Railway Line in Dist-Yavatmal Nagri Section under Dy. Collector (Land Acquisition), Road Project Yavatmal the district Yavatmal in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	Name of landholder as per 7/12	Survey no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (Ha.)	Land acquired area (Ha.)
1	02/47/2025-26	Belgavhan	Pusad	Gajanan Kishor Ghorpade, Khushal Kishor Ghorpade, Kalpana Kishor Ghorpade, Apak Aai Lilabai Kishor Ghorpade, Lilabai Kishor Ghorpade.	28/3	2	1.54	1.270
2				Kalpana Dhanraj Sakharkar, Khushal Kishor Ghorpade, Gajanan Kishor Ghorpade, Lilabai Kishor Ghorpade.	28/1	2	1.69	0.390
3				Sonibai Udebhan Rathod, Devsingh Udebhan Rathod, Vijay Udebhan Rathod, Shobha Sakru Rathod, Atmaram Udebhan Rathod, Yuvraj Sakru Rathod, Nirmala Vasram Jadhav, Nageshwar Sakru Rathod,	34 paiki	2	5.03	2.210
				Total			8.26 (Ha.)	3.870 (Ha.)
1	01/47/2025-26	Bitargaon Khu.	Umarkhed	Prayagbai Subhashrao Narwade	14/1/A	1	1.20	0.48
2				Nathuram Sambhaji Sarkale	27/2	1	2.25	0.02
3				Vitthal Devidas Sarkale	27/3	1	0.55	0.85
				Saraswatibai Devidas Sarkale			0.48	
				Pundalik Devidas Sarkale			0.55	
Total							5.03 (Ha.)	1.35 (Ha.)
Grand Total							13.29 (Ha.)	5.220 (Ha.)

[F. No. G197/WR -Nanded/Bitargaon & Belgavan VIg/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Cons).